चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में अमावस्या मेला ड्यूटी के दौरान चित्रकूट पुलिस द्वारा मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक वृद्ध महिला के खोए हुए ₹2,200/- रुपये खोजकर सकुशल वापस किए गए।
अमावस्या मेला के दृष्टिगत रामघाट पर उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह एवं महिला आरक्षी श्याम लली की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान वृद्ध महिला श्रीमती ताराबाई पत्नी श्री गुटई, निवासी भूलर भीटा, थाना सिपरा, जनपद जबलपुर द्वारा महिला आरक्षी श्याम लली को बताया गया कि रामघाट पर दर्शन करने के दौरान उनके ₹2,200/- रुपये कहीं गिरकर खो गए हैं।
महिला आरक्षी श्याम लली द्वारा तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए वृद्ध महिला द्वारा बताए गए स्थानों पर जाकर आसपास तलाश की गई। काफी प्रयास के बाद महिला आरक्षी द्वारा ₹2,200/- की पूरी धनराशि खोज ली गई तथा उसे सुरक्षित रूप से वृद्ध महिला को वापस कर दिया गया।
खोई हुई पूरी धनराशि वापस मिलने पर वृद्ध महिला अत्यंत प्रसन्न एवं भावुक हो गईं। उन्होंने चित्रकूट पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए महिला आरक्षी को धन्यवाद दिया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 वंशनारायण सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मोगरा कोल पुत्र स्व0 लोटन कोल निवासी शहरी पुरवा मजरा सरैया थाना मानिकपुर को एक झोले में 20 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम –
1.उ0नि0 श्री वंशनारायण
2.आरक्षी रविन्द्र राठौर
3. आरक्षी अनूप

(4).गणतंत्र दिवस-2025 के अवसर भारत सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह को पुलिस सेवा में उत्कृष्ट, सराहनीय एवं कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (Medal for Meritorious Service) प्रदान किया गया।
श्री अरुण कुमार सिंह ने पुलिस सेवा के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय दिया है। उनके सेवाकाल में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा आमजन की सुरक्षा एवं पुलिसिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।

उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए उन्हें पूर्व में 2015 में डीजी सिल्वर प्रशंसा चिन्ह, 2016 में वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक और 2020 में डीजी गोल्ड प्रशंसा चिन्ह से भी सम्मानित किया जा चुका है।

(5).“हर घर तिरंगा अभियान-2026” के अंतर्गत 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनपद चित्रकूट में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से थाना कोतवाली कर्वी से भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया।

तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कांत राय की उपस्थिति हरी झंडी दिखाकर किया गया। बाइक तिरंगा रैली कोतवाली कर्वी से प्रारम्भ होकर रेलवे स्टेशन ,शम्भू पेट्रोल पम्प ,पटेल तिराहा,धनुष चौराहा, बस स्टैण्ड, काली देवी चौराहा,पुरानी कोतवाली से भैरोपागा रोड होते हुये चकरेही चौराहा, ओवर ब्रिज होते हुये धनुष चौराहा पर पहुंचकर समाप्त हुयी । रैली में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति के नारों के साथ आमजन को “हर घर तिरंगा” अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। तिरंगा बाइक रैली में प्रतिभाग कर रहे पुलिसकर्मियों के वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए। रैली के दौरान पूरे मार्ग पर देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का वातावरण देखने को मिला। पुलिसकर्मियों द्वारा आमजनमानस को अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, सम्मान एवं गौरव के साथ मनाने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। “हर घर तिरंगा अभियान” देशवासियों में राष्ट्रप्रेम, एकता एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान को सफल बनाएं तथा राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। रैली के माध्यम से चित्रकूट पुलिस ने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं राष्ट्रप्रेम का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों में विशेष उत्साह एवं जोश देखने को मिला।

बाइक तिरंगा रैली के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह ,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह ,चौकी सीतापुर प्रभारी श्री यदुवीर सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(6). अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की ड्यूटा में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों को ब्रीफ किया गया। अगले चरण में अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का डीवी / पीएसटी परीक्षण जो 17.08.2026 तथा 31.08.2026 को होना सुनिश्चित है।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षता एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु अपने निकट पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन चित्रकूट में आयोजित होने वाली अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले महिला / पुरुष अभ्यर्थियों के बैठने, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, डीवी/पीएसटी दल के लिए लंच / जलपान, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें, उपकरणों आदि की व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 14.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 719/2023 धारा 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त मतगंजन कुशवाहा पुत्र स्व0 कामता कुशवाहा निवासी पहाड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 15 वर्ष का कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 21.11.2023 को एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त मतगंजन उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री जो अपने ननिहाल में रहती थी को दिनांक 20.11.2023 को दोपहर दो बजे ननिहाल से ले जाकर पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 719/2023 धारा 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री राकेश मौर्या द्वारा सम्पादित की गयी थी। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 31.12.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 14.08.2026 को थाना मारकुंडी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/19,38/19 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त संजय कोल पुत्र राजाकोल निवासी टिकरिया थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति ,पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 14.08.2026 को पुलिस मुख्यालय

से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/21 धारा 376,366,346,323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त में से 1. राजू उर्फ राजेन्द्र मेहता पुत्र चम्पालाल मेहता निवासी ग्राम बड़ा थाना सदर जनपद बारा राजस्थान को 10 वर्ष के कारावास व 16 हजार रुपए के अर्थदण्ड 2. विपिन मिश्रा पुत्र बुद्धसेन मिश्रा उर्फ मुन्नु निवासी ग्राम भदेदू थाना राजापुर को 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपए के अर्थदण्ड 3. चम्पालाल मेहता पुत्र घनालाल मेहता 4.महेन्द्र उर्फ भूपेन्द्र मेहता पुत्र चम्पालाल मेहता निवासीगण ग्राम बड़ा थाना सदर जनपद बारा राजस्थान को 02-02 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.09.021 को वादी द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि अभियुक्तगण उपरोक्त उनकी बहिन को बहलाफुसलाकर राजस्थान ले गए और वहां पर उसको बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किये। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 185/21 धारा 376,366,346,323 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री सुबेदार बिन्द द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनाँक 25.03.022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 इमरान खान मय हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी द्वारा एनसीआर 115/17 मु0नं0 191/17 धारा 171 जी भादवि के वारण्टी अभियुक्त गुलाब चन्द्र पुत्र चमई उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।